



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन



बिहार सरकार
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सं. 02
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

भारत के
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का
वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन

बिहार सरकार
वर्ष 2026 का प्रतिवेदन सं. 02
(राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय I: राज्य के वित्त का विहंगावलोकन		
राज्य की रूपरेखा	1.1	1
राज्य की संचित निधि	1.2	11
आकस्मिकता निधि	1.3	43
लोक लेखा	1.4	43
राजकोषीय संवहनीयता	1.5	46
निष्कर्ष	1.6	61
अनुशंसाएँ	1.7	62
अध्याय II: बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	2.1	65
बजट अनुमान और अपेक्षा एवं वास्तविक के बीच का अंतर	2.2	66
बजट कार्यकुशलता	2.3	70
विनियोग लेखे	2.4	73
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया	2.5	74
विधायी तंत्र से बाहर रखी गई अव्ययित निधियों की पार्किंग और वापसी	2.6	79
एकल नोडल एजेंसी (एसओएनओ)	2.7	79
चयनित अनुदानों की समीक्षा	2.8	81
अनुदान संख्या - 35 “योजना एवं विकास विभाग”	2.8.1	81
अनुदान संख्या - 48 “नगर विकास एवं आवास विभाग”	2.8.2	86
विशिष्ट बजट	2.9	93
जेंडर बजट की समीक्षा	2.10	93
बाल कल्याण बजट की समीक्षा	2.11	95
हरित बजट की समीक्षा	2.12	96
परिणाम बजट की समीक्षा	2.13	98
आकस्मिकता निधि	2.14	99
निष्कर्ष	2.15	100
अनुशंसाएँ	2.16	101

विवरण	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय III: वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार		
राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/प्राधिकरणों के माध्यम से ली गयी गैर-बजट उधारी	3.1	103
सरकार की अप्रदत्त देनदारियां	3.2	105
सरकारी लेखों से बाहर की निधि	3.3	109
उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने में विलंब	3.4	111
सार आकस्मिक विपत्र	3.5	112
लोक लेखों के अंतर्गत जमा	3.6	115
लघु शीर्ष-800 का संचालन	3.7	118
मुख्य उच्च एवं ऋण, जमा और प्रेषण (डी०डी०आर०) शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष	3.8	119
विभागीय आंकड़े का समाशोधन	3.9	121
नकद शेष का समाशोधन	3.10	122
लोक लेखा में प्रतिकूल शेष	3.11	123
लेखांकन मानकों का अनुपालन	3.12	124
स्वायत्त निकायों के लेखों का प्रस्तुतीकरण	3.13	125
एस०पी०एस०ई० जिनके लेखे को अंतिम रूप नहीं दिया गया को बजटीय सहायता	3.14	126
दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि	3.15	127
राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	3.16	127
निष्कर्ष	3.17	128
अच्छी प्रथाएँ	3.18	128
अनुशंसाएँ	3.19	129

परिशिष्ट

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.1	राज्य सरकार के वित्त पर समय श्रृंखला आकड़ें	1.1.3	131
1.2	मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरण का सार	1.1.4, 1.2.4.1 ए, 1.2.4.2 ए	134
1.3	31 मार्च 2025 तक बिहार सरकार की वित्तीय स्थिति का सारांश	1.1.5	140

क्रम संख्या	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
1.4	प्रमुख राजकोषीय मापदंडों का दस वर्षों का रुझान (2015-16 से 2024-25)	1.1.6, 1.2.4.2	142
2.1	अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक)	2.5.2	144
2.2	ऐसे मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुए (प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ या अधिक)	2.5.2	146
2.3	पुनर्विनियोग के माध्यम से बजट प्रावधान में अनावश्यक वृद्धि (पाँच करोड़ या अधिक)	2.5.3	148
2.4	अभ्यर्पण के बाद भी वृहत बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक) वाले अनुदान (वित्त वर्ष 2024-25)	2.5.4	149
2.5	विगत पाँच वर्षों में अनुदान के बजट खंडों के तहत पर्याप्त सतत बचत (प्रति वर्ष ₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक)	2.5.4	150
2.6	वित्त वर्ष 2024-25 में अनुदान-वार बचत और बजट का प्रतिशत उपयोग	2.5.4	151
2.7	बचतों का अनभ्यर्पण	2.5.4	153
2.8	मार्च 2025 के अंतिम दिन बचत का अभ्यर्पण	2.5.4	156
2.9	2024-25 के दौरान सभी अनुदानों में चतुर्मास-वार व्यय	2.5.6	157
3.1	परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के तहत योगदान और निवेश का विवरण	3.2.2	160
3.2	31.03.2025 तक उपयोगिता प्रमाण-पत्र की स्थिति	3.4	161
3.3	31.03.2025 तक सार आकस्मिक विपत्र की स्थिति	3.5	163
3.4	स्वायत्त निकायों के लेखे का बकाया जिन्होंने अपनी स्थापना के बाद से लेखापरीक्षा के लिए अपने वित्तीय विवरण प्रदान नहीं किए (31 मार्च 2025 तक)	3.13	165
3.5	एस०पी०एस०ई० को बजटीय सहायता, जिनके लेखे मार्च 2025 तक बकाया थे	3.14	166